न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

[illegible] संख्या 32/12

तारीख रजू– 03/08/12

[illegible] पुत्र नांगीलाल जाति मीना निवासी आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा (फौत) 1/1
[illegible] देवी बेवा रामलड्डू उम्र 65 वर्ष निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा
[illegible] देवी उम्र 38 वर्ष पुत्रियान रामलड्डू निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा
[illegible] उम्र 35 वर्ष पुत्रियान रामलड्डू निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा
[illegible] बाई उम्र 32 वर्ष पुत्रियान रामलड्डू निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा
[illegible] पुत्र रामलड्डू उम्र 30 वर्ष निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तहसील चौथ का बरवाड़ा

----- प्रार्थी

बनाम

[illegible] पिसरान रामगोपालदास जाति बाबाजी निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तह0 चौथ का बरवाड़ा
[illegible] पिसरान रामगोपालदास जाति बाबाजी निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तह0 चौथ का बरवाड़ा
[illegible] पिसरान रामगोपालदास जाति बाबाजी निवासीयान आदलवाड़ा खुर्द तह0 चौथ का बरवाड़ा
[illegible] सलाहकार समिति जरिए तहसीलदार सवाई माधोपुर
[illegible] जरिए तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा

------ अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक–30/01/2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम,1970 के नियम [illegible] के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपालदास पुत्र नारायण दास बाबाजी निवासी आदलवाड़ा खुर्द को दिनांक 28/06/1968 को साबिक खं0नं0 170 जो कि काफी बडा रकबा था में से [illegible] भूमि के किये गये आबंटन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत करते हुए भूमि आबंटन आदेश को निरस्त [illegible] बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी तथा आबंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी 1 लगायत 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित एवं अप्रार्थी 4 व 5 की और से परोकार सरकार उपस्थित ।

प्रार्थी संख्या 1/1 ने आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि [illegible] वाद आराजीयात जिसके नवीन खं0नं0 664 रकबा 0.45 है0 ग्राम आदलवाड़ा खुर्द में से अप्रार्थीगण [illegible] ने अपने हिस्से की 1/3 अर्थात तीसरा हिस्सा फोरन्ती देवी पत्नि कैलाश चन्द्र मीना निवासी आदलवाड़ा खुर्द को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया है और उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर फोरन्ती के नाम नामान्तकरण स0 307 दिनांक 20/07/2016 को तस्दीक होकर जमाबंदी [illegible] 2072 से 2075 में अंकन हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 स्वीकार करते [illegible] कुल रकबा 0.45 है0 में से 1/3 हिस्सा छोडते हुए 2/3 हिस्सा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन [illegible] मैं इस निष्कर्ष पर पंहुचा हु कि अप्रार्थीगण 2 द्वारा उक्त वाद आराजीयात में से 1/3 हिस्सा [illegible] जरिये विक्रय पत्र से किया गया है। जिसका सत्यापन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से हो [illegible] चुकि उक्त भूमि का विक्रय जरिये रजिस्ट्री हुआ है एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज निरस्त करने का [illegible] इस न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 न्यायहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी [illegible] 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। उभय पक्ष की [illegible] बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि [illegible] न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलध तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपालदास [illegible] 28/06/1968 को खं0नं0 170 में से 4 बीधा भूमि आवंटन हुई थी। खं0नं0 170 उद्‌धोषणा में [illegible] नहीं था। अप्रार्थीगण को अलोटमेन्ट के पश्चात् मौके पर आंदिनांक तक कोई कब्जा नहीं दिया [illegible] एवं उक्त वाद आराजीयात पर कहां पर कब्जा दिया यह भी स्पष्ट नहीं है एवं आवंटन नियम के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

12/A

अनुसार उक्त आवेदन पत्र वाद पत्र के रूप में भी सत्यापित नहीं है। उक्त वाद आराजीयात पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन नियम के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता को कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है ना ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने कभी काश्त की है। खं0नं0 170 के वर्तमान खा0नं0 664 रकबा 0.45 है0 पर विवाद है क्योकि यह प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त वाद आराजीयात में से 1/3 हिस्सा अर्थात तीसरे हिस्से का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय हो चुका है। अतः खं0नं0 664 में से 2/3 हिस्सा निरस्त करने का श्रम करे।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने कतई गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे नाम मात्र की सत्यता नही है। विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा 44 वर्ष वाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो न्यायोचित नहीं है। दिनांक 28/06/1968 को उक्त वाद आराजीयात मेरे पिता के नाम आवंटन हुआ । जो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम विरासत दर्ज है। आवंटन नियमानुसार हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता आवंटन के समय भूमि हीन था। आवंटन शर्तो की पालना करते हुए ही उक्त भूमि का आवंटन हुआ है। अप्रार्थीगण ने इस संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के यहां धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत भी एक वाद प्रस्तुत कर रखा है। जो वर्तमान में न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के यहां विचाराधीन है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 28/06/1968 को यथावत रखा जावे।

विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा आबंटन संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि आवंटी के पिता को दिनांक 28/06/1968 को ग्राम आदलवाड़ा खुर्द में स्थित भूमि खं0नं0 170 में से रकबा 4 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन के पश्चात् पटवारी हल्का ने आवंटी को कब्जा दिया जाना बताया है। लेकिन पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को कब्जा किस दिनांक को किन–किन साक्ष्यों के समक्ष दिया गया इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ना हि पटवारी हल्का द्वारा मौका कब्जा रिपोर्ट व दैनिक डायरी भी प्रस्तुत की है। जिससे प्रकट होता है कि पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को मौके पर कब्जा ही नही दिया गया है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम के अर्न्तगत आवंटन के लिए आवेदन पत्र सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) के अधीन वाद–पत्र के रूप में सत्यापित किया जाना आवश्यक है। लेकिन आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र नियम 8 के अर्न्तगत तो प्रस्तुत किया गया है लेकिन आवदेन पत्र वाद–पत्र के रूप में सत्यापित नहीं पाया गया है। जिससे आवंटि द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथमतयः ही शून्य है अतः हमारे मतानुसार आवंटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथमतय शून्य होने की स्थिती में एवं आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा नहीं दिये जाने की स्थिती में आंवटन निरस्त योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता के पक्ष मे किया गया आबंटन आदेश दिनांक 28/06/1968 ग्राम आदलवाड़ा खुर्द खं0नं0 170 रकबा 4 बिघा में से सेटलमेंट पश्चात् बने नवीन ख0नं0 664 रकबा 0.45 है0 हिस्सा में से रजिस्टर्ड विक्रय 1/3 हिस्सा को को छोडते हुए शेष 2/3 हिस्सा निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर